न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 52 / 2022

1 कानाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बिमला देवी पुत्री शिवलाल उर्फ श्योलाल पत्नी दयाराम उम्र 47 साल जाति जाट निवासी मुण्डों की ढाणी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज. ।

2 भागोती पुत्री शिवलाल उर्फ श्योलाल पत्नी भोलाराम उम्र 44 साल जाति जाट निवासी गुमाना का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

3 चूंकी देवी पुत्री शिवलाल उर्फ श्योलाल पत्नी शीशराम उम्र 50 साल जाति जाट निवासी मुण्डों की ढाणी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज. ।

4 मन्जू देवी पुत्री शिवलाल उर्फ श्योलाल पत्नी गिरधारी उम्र 41 साल जाति जाट निवासी गुमाना का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

5 ख्यालीराम पुत्र बीरबल

6 शीशराम पुत्र बीरबलराम

7 सारली पत्नी बीरबल

समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढाणी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

8 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आरएएस उनवानी बिमला देवी बनाम मन्जु देवी वगै. मु.नं. 69/2021 आरसीएमएस नं. 2021/00188 दावा, घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह बोरान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1670/683 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 697 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1946/1117 रकबा 0.7863 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम टीटनवाड़ तहत वर्तमान तहसील गुढ़ा गौड़जी में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस वाद पत्र को अपील के विरूद्ध दिनांक 28.09.2021 को एकपक्षीय रूप से निर्णित कर प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। अपीलान्ट ने उपरोक्त एक पक्षीय निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

डिक्री को अपास्त करवाने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.04.2022 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सर्वप्रथम साधारण नोटिस से तामील नहीं करवाई सीधे ही रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाये जाने के आदेश दिये जो सीपीसी के आदेश 5 के प्रावधानों के विपरित है। विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का समूचित अवसर नहीं दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष में दिनांक 06.09.2021 की आदेशिका में लिखा है कि वास्ते इन्तजार पेश करने डाक रसीद जबकि कानूनन दिनांक 06.09.2021 की आदेशिका में यह लिखना चाहिये था कि वास्ते पेश करने रजिस्टर्ड पत्र वास्ते तलबी। पत्रावली में दिनांक 06.09.2021 के बाद तारीख पेशी कांटछांट कर दिनांक 15.09.2021 नियत की है तथा दिनांक 15.09.2021 से पेशी दिनांक 20.09.2021 कांट छांट करके नियत की है। पत्रावली में तामीली प्रोसेस पेण्डिग होने के बावजूद भी बिना किसी उचित व पर्याप्त कारण के तारीख पेशी नजदीक नियम की है। दिनांक 15.09.2021 की आदेशिका में दिनांक 09.04.2021 की डाक रसीद पेश करना लिखा है। दिनांक 09.04.2021 की डाक रसीद आशयपूर्वक देरी से दिनांक 15.09.2021 को पेश की है। आखिरकार दिनांक 28.09.2021 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 28.09.2021 को ही आशय पूर्वक प्राथमिक डिक्री तवरीत रूप से जारी कर दी। तथा किसी तरह का अपीलान्ट को नुकसान करने के लिये दिनांक 28.09.2021 से करीब ढाई महीने बाद दिनांक 15.12.2021 की तारीख पेशी वास्ते पेश होने विभाजन प्रस्ताव के लिये नियत की है। अपीलांट काफी वर्षों से ग्राम टीटनवाड़ रहता

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है जबकि वाद पत्र में अपीलान्ट का पता ग्राम खेदड़ो की ढाणी तन बामलास का गलत पता दर्ज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष शिवलाल की शादीशुदा पुत्रियों द्वारा वाद पत्र पेश करवाया है जबकि ख्यालीराम व शीशराम ने कोई दावा पेश नहीं किया जिस पते पर अपीलान्ट के नाम जरिये डाक समन भेजना डाक रसीद के मुताबिक उसके स्थाई व सही पते पर नहीं भेजा गया। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त करने का प्रार्थना पत्र अलग से दर्ज नहीं किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र को भी गलत आधारों पर खारिज किया है जबकि विचारण न्यायालय का यह देखना चाहिए था कि अपीलान्ट की तामिल आदेश 05 नियम 17 से 21 सीपीसी के मुताबिक पर्याप्त है या नहीं। वाद पत्र में ग्राम टीटनवाड़ की जमीन के अलावा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम के अनुसार ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का बामलास में हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 3.57 हैक्टेयर जमीन स्थित है जिसमें अपीलान्ट का नाम 1/3 हक हिस्सा में दर्ज है। ग्राम नीम की ढाणी व ग्राम टीटनवाड़ की जमीन के बाबत अपीलान्ट व ख्यालीराम एवं शिवलाल के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हुआ जिसमें ग्राम टीटनवाड़ की जमीन अपीलान्ट कानाराम के हिस्से में आई एवं उपरोक्त अनुसार पक्षकार काफी वर्षों से काबिज काश्त है तथा उपरोक्त अनुसार ही भु–सुधार किया है दावा क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया इस कारण विचाराधीन निर्णय व डिक्री तथा मुल वाद पत्र खारिज होने योग्य है। प्रकरण उनवानी एम मोहन बनाम आर राधू के प्रकरण में माननीय सूप्रीम कोर्ट की तीन जजेज की बैंच ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर धारा 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजूद भी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील करने का किसी व्यक्ति का विधिक अधिकार है उसे अपील करने से वंचित नहीं किया जा सकता। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार ग्राम टीटनवाड़ पटवार हल्का टीटनवाड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1670/683, 678, 696, 697, 698, 1946/1117 अवस्थित है। जिसके वादीयागण एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीयागण ने उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार/बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब को दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कोई त्रुटि नहीं की है। अपील सरहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत हुआ था। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 20.09.2021 तक प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत रही है। आगामी तिथि दिनांक 28.09.2021 को तामील प्रकिया पूर्ण किये बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर वादी की साक्ष्य लिये बिना, विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 20.01.2022 को अपीलांट द्वारा आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में दिनांक 01.04.2022 को अपीलांट का आवेदन खारिज कर पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव नियत की है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकुल होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर